



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229238
CG-DL-E-26082021-229238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3199]
No. 3199]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

का.आ. 3489(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में NH-130C के कि.मी. 17.200 से कि.मी.37.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में NH-130C के कि.मी. 17.200 से कि.मी. 37.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: गरियाबंद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: राजिम					
गांव का नाम: बरौंडा					
1	875	निजी	सिंचित	0.0005000(हेक्टेयर)	0.0005000
2	876	निजी	सिंचित	0.0261000(हेक्टेयर)	0.0261000
3	878	निजी	सिंचित	0.0135000(हेक्टेयर)	0.0135000
4	883/1	निजी	सिंचित	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
5	883/2	निजी	सिंचित	0.0000000(हेक्टेयर)	0.0000000
गांव का नाम: चचौद(श्यामनगर)					
1	1057	सरकारी	असिंचित	0.0043000(हेक्टेयर)	0.0043000
2	1062	निजी	सिंचित	0.0067000(हेक्टेयर)	0.0067000
3	1280/1	निजी	पड़त (जोगीडबरी)	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
4	1280/2	निजी	पड़त	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
5	1281	निजी	सिंचित	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
6	1284	निजी	सिंचित	0.0066000(हेक्टेयर)	0.0066000
गांव का नाम: सुरसाबांधा					
1	749	सरकारी	असिंचित	0.0109000(हेक्टेयर)	0.0109000
2	798	सरकारी	असिंचित	0.0806000(हेक्टेयर)	0.0806000
कुल				0.1755	0.1755

[फा. सं. RO/NH/CG-2020-21/LA/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

S.O. 3489(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule

below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-130C in the stretch of land from Km 17.200 to Km.37.000 in the District of Gariaband in the state of CHHATTISGARH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer(Revenue) Rajim, District-Gariaband (Chhattisgarh) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-130C in the stretch of land from Km. 17.200 to Km. 37.000 in the District of Gariaband in the state of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH		District: Gariaband			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Rajim					
Village: Baronda					
1	875	Private	Wet land	0.0005000(Hectare)	0.0005000
2	876	Private	Wet land	0.0261000(Hectare)	0.0261000
3	878	Private	Wet land	0.0135000(Hectare)	0.0135000
4	883/1	Private	Wet land	0.0010000(Hectare)	0.0010000
5	883/2	Private	Wet land	0.0000000(Hectare)	0.0000000
Village: Chachoud(Shyamnagar)					
1	1057	Government	Dry Land	0.0043000(Hectare)	0.0043000
2	1062	Private	Wet land	0.0067000(Hectare)	0.0067000
3	1280/1	Private	Fallow Land (Jogidabri)	0.0070000(Hectare)	0.0070000
4	1280/2	Private	Fallow Land	0.0027000(Hectare)	0.0027000
5	1281	Private	Wet land	0.0156000(Hectare)	0.0156000
6	1284	Private	Wet land	0.0066000(Hectare)	0.0066000
Village: Sursabandha					
1	749	Government	Dry Land	0.0109000(Hectare)	0.0109000
2	798	Government	Dry Land	0.0806000(Hectare)	0.0806000
Total				0.1755	0.1755

[F. No. RO/NH/CG-2020-21/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Director